दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

128/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 549 /05/76/एक/2016-17 दिनांक : 24 मई 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-अलीगढ़।

विषय :वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	574102010003674	IFSC Code UBIN0557412	126.471

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
1	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 03 लच्छिमपुर में विमला मार्केट से नेत्रपाल सिंह के घर तक पप्पू सीमेन्ट से सुरेन्द्र सिंह के घर तक तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.618
2	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 03 लच्छिमपुर में नेत्रपाल सिंह के घर से महाऋषि इण्टर कालेज तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.226
3	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 03 लच्छिमपुर में डा0 अशोक कुमार से इण्टरलाकिंग रोड, इन्द्रपाल से मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.686
4	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 36 मौ0 साकेत बिहार माहौर बस्ती सराय हरनारायण में हरपाल सिंह के घर से कालीचरण के घर तक हरीओम के घर से मन्दिर तक बनवारी लाल के घर से घनश्याम के घर तक नन्द किशोर के घर से अनूप आचार्य जी के घर तक मदन लाल के घर से राम रतन के घर तक एवं तोताराम वाली गली तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	18.661
5	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 11 मौ0 चूहरपुर में वीरेन्द्र शर्मा के घर से चौधरी साहब सिंह के घर तक, योगेश शर्मा के घर से ओमप्रकाश के घर तक एवं से ओमप्रकाश तक, सत्यप्रकाश से ठाकुर शेरपाल सिंह घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	14.193
6	अलीगढ	एससीपी-83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 11 मौ0 चूहरपुर में के0वी0 टेलर्स से किशन लाल शर्मा के घर तक किशन लाल शर्मा के घर से ट्रान्सफार्मर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.790

दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

128/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एससीपी–83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
7	अलीगढ	एससीपी–83	न0नि0 अलीगढ	वार्ड सं0 11 मौ0 चूहरपुर में हनुमान धर्मशाला से के0बी0 टेलर्स तक, के0बी0 टेलर्स से अंजू देवी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.690
8	अलीगढ	एससीपी–83	न0प0 हरदुआगंज	मौ0 भीमनगर में विष्णु यादव के घर से अरविन्द यादव के घर तक महेश चन्द्र के घर से किच्चूमल के घर तक राजीव वाली गली से दुर्जन सिंह के घर तक सैयद मजार तक गुलाब सिंह के घर से मुन्ना लाल के घर तक बॉके लाल के घर से सुरेश चन्द्र के घर तक ख्याली राम के घर से मुन्ना वाल्मीकि के घर तक उमर के मकान से संजू के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	15.607
	योग				126.471

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

दूरभाष – 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

10– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता–सूडा
3. कम्प्यूटर सेल–सूडा।
4. लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक